

कांगड़ा सं. II/20015/6/92 राज्य (क-2), दिनांक 10.6.1992

विषय:— हिन्दी सलाहकार समितियों के गठन एवं बैठकों के बारे में।

उपर्युक्त विषय पर अधीक्षणस्थाकरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन (खंड-4) में को गई सिफारिशों में निम्नलिखित सिफारिश भी की है:—

सिफारिश सं. 8(ग) हिन्दी सलाहकार समितियां: समिति ने सिफारिश की है कि प्राथेक मंत्रालय/विभाग के लिए अलग-अलग हिन्दी सलाहकार समिति का गठन किया जाए। उनका समय-समय पर पुनर्गठन किया जाए। वर्ष में इनकी कम से कम 4 बैठक आयोजित की जाएं तथा समितियों की सिफारिशों पर समझौता से व्याप्रसमय अनुबंधी कार्रवाई की जाए।

2. संसदीय राजभाषा समिति की यह सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली गई है कि जो बहुत छोटे-छोटे मंत्रालय/विभाग हैं उनमें संयुक्त रूप से हिन्दी सलाहकार समिति गठित की जाए। ये प्रत्येक मंत्रालयों/विभागों की अलग अलग हिन्दी सलाहकार समितियों गठित की जाएं। इस संबंध में सरकार का निर्णय इस विभाग के संकल्प सं. 12019/10/91-राज्य(ब) दिनांक 28 जनवरी, 92 द्वारा जारी किया जा चुका है।

3. इस प्रसंग में सभी मंत्रालयों/विभागों का ध्यान इस विभाग के कांगड़ा सं. II/20015/45/87-राज्य (क-2) दिनांक 11/15 मार्च, 1988 को और आकृष्ट किया जाता है, जिसके अंतर्गत हिन्दी सलाहकार समितियों के गठन के संबंध में व्यवस्था व मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं। इस प्रकार भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में 43 हिन्दी सलाहकार समितियों की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, हिन्दी सलाहकार समितियों में मंत्रालयों/विभागों के सम्मुहीकरण के बारे में राजभाषा विभाग द्वारा बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सम्पूर्ण भी दिए गए हैं।

4. संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों तथा इस संबंध में सरकार के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे राजभाषा विभाग द्वारा इस विषय पर जारी संशोधित व्यवस्था, मार्गदर्शी सिद्धांतों व समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करें। जिन मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी सलाहकार समितियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है या जिनका पुनर्गठन अन्यथा अपेक्षित है, वे इस संबंध में पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव राजभाषा विभाग को औपचारिक समर्पित के लिए भेजने की कार्रवाई करें। जैसाकि मंत्रालय/विभाग जानते हैं, हिन्दी सलाहकार समितियों की वर्ष में कम से कम 4 बैठकें होनी चाहिए, यानि 3 महीने में कम से कम एक बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए।

5. कृपया इस संबंध में की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को सूचित करें।